सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 26, मंगलवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 17, *2024*	
Agrahayana 26, Tuesday, Saka 1946- December 17, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 11, 2024

संख्या प. 2(69)वन/2024:-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तिया है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है।

यह की वर्णित पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है

यह कि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका रहेगी।

अतः राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम सं 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जाच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (2), 12, 13, 14, 17, 18 एवं 19 में प्रावहित है।

और इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती है परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या

निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन ।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.स	ब्लाक नाम	तहसील नाम	जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण			विवरण
							खसरा नंबर	खसरा नंबर	खसरा नंबर	
1	भागली खेडा पार्ट A	शिवगंज	सिरोही	उत्तर	नाला	भागलीखेडा	2886/22	14.6674	गैर मू. खारच	भूमि प्रत्यावर्तन में प्राप्त हुई है।
				दक्षिण	वन विभाग					
				पश्चिम	खातेदारी एवं बिलानामा भूमि					
				पूर्व	बिलानामा भूमि					
					कुल क्षेत्रफल			14.6674		

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.स.	ब्लाक नाम	तहसील नाम	जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण			विवरण
							खसरा नंबर	खसरा नंबर	खसरा नंबर	
1	भागलीखेडा पार्ट B	शिवगंज	सिरोही	उत्तर	नाला	भागलीखेडा	515	35.6770	गैर मू. खारच	भूमि प्रत्यावर्तन में प्राप्त हुई है।
				दक्षिण	खातेदारी भूमि					
				पश्चिम	खातेदारी एवं बिलानामा भूमि					
				पूर्व	रास्ता					
					कुल क्षेत्रफल			35.6770		

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.स.	ब्लाक नाम	तहसील नाम	जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण			विवरण
							खसरा नंबर	खसरा नंबर	खसरा नंबर	
1	भागलीखेडा पार्ट C	शिवगंज	सिरोही	उत्तर	रास्ता	भागली खेडा	2889/7	18.1192	गैर मू. खारच	भूमि प्रत्यावर्तन में प्राप्त हुई है।
				दक्षिण	नाला					
				पश्चिम	जिला जालोर सीमा					
				पूर्व	बिलानामा भूमि					
					कुल क्षेत्रफल			**18.1192**		

किशन सिंह राणावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सिरोही।

कस्तूरी प्रशांत सूले IFS,
उप वन संरक्षक,
सिरोही।

वनखण्ड भागलीखेडा पार्ट A, B, C

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रस्तावित वनखण्ड मे आने वाली वनस्पतियो के वानस्पतिक नामो की सूची

क.स.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Prosopis cineraria	खेजडी
2	Acacia leucopholea	रौंज
3	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
4	Acacia tortlis	टोटलिस
5	Capparis decidua	केर
6-	Salvadora persica	पीलू

किशन सिंह राणावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सिरोही।

कस्तूरी प्रशांत सूले IFS,
उप वन संरक्षक,
सिरोही।

प्रमाण-पत्र

वनखण्ड – भागलीखेडा पार्ट A, B, C
रेन्ज - सिरोही
वनमण्डल- सिरोही

1 प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में राजकीय वन विभाग जंगलात के नाम से दर्ज है। यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
2 विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण खनन कार्य नही किये हुए है।
3 प्रस्तावित वन क्षेत्रो में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिन पर भविष्य में विकास कार्य किये जाने की सम्भावना है।
4 प्रस्तावित भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.1 से 0.4 तक का है एवं इन क्षेत्रो में खेजडी रोंज विलायती बबूल टोटलिस केर पीलू एव अन्य मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडिया है।
5 प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एव इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा।
6 प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र संलग्न है।
7 पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8 इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।
9 उक्त भूमि New BG Railway Line from Taranga hill- Ambaji-Abu Road (Km 71.580 to km-78.040 and km 87.040 to km-112.700) प्रस्ताव संख्या एफपी/आरजे/रेल/481643 क्षेत्रफल 68.4636 हैक्टेयर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इस वन मण्डल को प्राप्त हुई है।

किशन सिंह राणावत,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
सिरोही।

कस्तूरी प्रशांत सूले IFS,
उप वन संरक्षक,
सिरोही।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।